(b) what is the value of these ships; and

(c) how they have been disposed off?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH): (a) During the last five years, Indian Shipyards built and delivered 18 cargo vessels of different sizes, two supply vessels for ONGC and two 9000 cu.m. water carriers. No passenger vessel was built during this period.

(b) The total value of these vessels works out to about Rs. 164 crores.

(c) 10 cargo vessels were delivered to different Indian shopowners, two supply vessels to the Oil & Natural Gas Commission and the remaining vessels were exported.

तिनसुखिया मेल से दो क्विंटल बिना बुक की गई चांदी का पकड़ा जाना

7172. **श्री दया राम शाक्य**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल ने 20 मार्च, 1980 को तिनसुखिया मेल गाड़ी के 3-टीयर सवारी डिब्बे से दो क्विंटल बिना बुक की गई चांदी पकड़ी थी,

(ख) क्या इस 3-टीयर सवारी डिब्बे के यात्रा टिकट परीक्षक (टी०टी०ई०) ने इस चांदी को ले जाने के लिए अपनी अनुमति दी थी, और

(ग) यदि हां, तो इस चांदी को ले जाने वाले व्यापारी और इस डिब्बे के यात्रा टिकट परीक्षक (टी० टी० ई०) के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क) 21-3-1980 को तिनसुकिया मेल के दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों ने दो व्यक्तियों को 44 कि०ग्रा० (न कि दो क्विंटल) चांदी ले जाते हुए पकड़ा था। इन व्यक्तियों से बिना बुक कराये माल ले जाने के कारण रेलवे को देय 208/— रुपये की राशि वसूल की गयी थी।

(ख) और (ग) कानपुर से नयी दिल्ली तक जो टिकट परीक्षक, 3 टियर सवारी डिब्बे के साथ चल रहा था, उसने अपने डिब्बे में चांदी ले जाने के सम्बन्ध में अनभिज्ञता प्रकट की है। एक आमने-सामने की जांच का आदेश दिया जा रहा है और सम्बन्धित चल टिकट परीक्षक के विरुद्ध दोषी पाये जाने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। कानपुर से दिल्ली तक चांदी लाने के तथ्य मात्र से ही सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत कार्रवाई करना आवश्यक नहीं हो जाता। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा उस व्यापारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

Supply to Axle-bearings

7173. SHRI NIHAL SINGH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the names of foreign and Indian Companies which had offered to supply 33,000 axle bearing and the rates offered by them in their tender papers;

(b) whether, despite receipt of low rate tendered, the Railway in their own interest choose to accept the supply by the company which had offered higher rates as a result of which the Railways had to pay a sum of Rs. 2.69 crores more for the supply of 33,000 axle bearing and 42,000 axles; and

(c) if so, whether the case was investigated by Government and action taken against the persons responsible for making Government pay more?